Hita an Usiya The Gazette of India



प्रापिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

tio 40]

मई दिल्ली, श्रातिबार, सितन्बर 30, 1972/श्राहिबन 8, 1894

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1972/ASVINA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृथ्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रक्षा जा सर्चे। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II--- सण्ड 3---- उप-सण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनीं को छोड़कर) केन्द्रीय प्राविकारियों द्वारा कारी किये गय विधि के ग्रन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के प्रावेश, उप-निवम ग्रावि सम्मिलत हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

New Delhi, the 30th August 1972

- G.S.R. 1206.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constituion, the President hereby makes following rules regulating the method of recruitment to the posts of Engineers, All India Radio in the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(a) These rules may be called the All India Radio (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment Rules, 1972.
- (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number and classification of the posts and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2, 3 and 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.— The method of recruitment of the posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Government of India.

5 Any person appointed to the post for which a degree in Engineering (or equivalent qualification) is the minimum

qualification shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person:--

- (a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;
- (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty-five years.
- 6. Disqualifications.—(1) No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts. provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- (2) No candidate who is called for the interview for appointment against direct recruitment quota under age concession admissible to Government servants, will be eligible for appointment, if after submitting the application he resigns from Government service either before or after the interview.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 8. Relaxation of standard in certain cases.—Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for them cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the post, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.
- 9. Reservation of vacancies for released Emergency Commissioned officers.—A percentage, as prescribed by the Central Government from time to time, of the permanent vacancies to be filled through the Competitive Examination conducted by the Commission shall be reserved for guaduate engineers who are commissioned in the Armed Forces on a temporary basis during an emergency, and are later released subject to the conditions that—
 - (i) they would have been eligible for appointment had they not joined military service; and
 - (ii) they are, at the time when they are considered for appointment, after release from military service, physically fit according to the rules. For the time being till such candidates become available for appointment, the reserved permanent vacancies shall be filled on a temporary basis.
- 10. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Recruitment rules for the posts of Assistant Station Engineer and Assist ant Engineer, All India Radio in the Ministry of Information and Broadcasting

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Age limit for direct rectuits	Educational and other qualification required for direct recruits.
ī	2	3	4	5	6	7
I. Assistant Station Engineer.	373	General Central Service Class I (Gazeded).	Rs. 400—400— 450—30—600— 35—670—EB— 35—950.	Selection	30 years (Relaxable for Government servant).	A degree in Electrical Engineering Electrical Communication Fin gincering, Electronics, or M.So degree in Physics with Wireless Communication or Electronic
						as a special subject from a re- cognised University or equiva- lent. (Qualifications relaxable at the dis- cretion of the Union Publi- Service Commission in case of
						candidates othersise well quali- fied).
					Section Sectio	

educational qualifications nresctibed for direct recruits will apply in the case of Promotees

probation, by direct recruitment or by if any promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods

Whether age and Period of Method of recruitment whether In case of recruitment If a DPC exists, Circumstances by promotion/deputation/transfer. grades from which promotion/ deputation/transfer to be made

position

în which what is its com- Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

8

9

10

11

12

13

No

2 Years

60% by direct recruments.

Through Engineering Services

(Ricetronics) Examination

Thion Pubconducted by the Union Public Service Commission.

Note :

(i) In case direct recruitment falls short, the remaining vacancies may, in consul-tation with the Commis-sion, be filled by promo-tion from amongst the

eligible officers for 3 years. (ii) In special circumstances some posts may be filled in consultation with the Union Public Service Commission by occasional al hac direct recruitment otherwise than through the Engineering Services (Electronics) Examination.

Promotion: Assistant Engineers All India Radio with 3 vears service in the gra le.

Class I, Depart-mental Promotion Committee,

As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958,

Sec. 3(i)]		THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 30, 1972/ASVINA 8, 1894 283							
1	2	3	4	5	6		7		
2. Assistant Engin	ecr 248	General] Central Service Class-II Gazetted Non- Ministerial.	Rs. 350—25— 500—30—590— EB—30—800— EB—30—830— 35—900.	-	o years (Rejaxabl for Governmen servant ₈).	t Electric gineer degree Comm as a recognilent. (Qualific cretion Service Control of the control	ee in Electrical Endeal Communication, Electronics, e in Physics with unication or a special subject special subject is defined University eations relaxable in of the Unice Commission is lates otherwise with the commission of the Unice Commission is a special sp	or M.Sc h Wireles Electronics from a or equiva- at the dis- on Public n case of	
8	9		10	11		12	13		
Age: No Educational qua- ifications: Yes.	2 years	ment 40% gineering nics) Example 10 Commission to selection to selection.	o% Direct Recruit- through the En- Services (Electro- mination conducted alon Public Service on failing which by through the Union rvice Commission.	Senior Er Assistants w service in the failing whi years serving grades of Signeering and Engine sistant comes sether. Note:—The resident persons persons persons persondidates expromotion as situation the ing vacancie be filled by ceruitment. (if) If in any number for able for falls short of motion quo maining vacated of beir over to the would be addedoned.	ice in the senior En- Assistant ering As- bined to- number of romoted occasion of the ligible for a such eremain- se should direct re- year the fund suit- promotion of the pro- ta, the re- ancies, in- ang carried anext year,	ental Pro- Com-	As required to Union Publicommission tion from Co Regulations,	Exemp- (Exemp- (naultation	

नई दिल्ली, 30 ग्रगस्त, 1972,

जी एस॰ भार 1206.—संविधान के भ्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त भ्रधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपित सूचना भीर प्रसारण मंत्रालय में श्राकाणवाणी के इंजीनियरों के पदों की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, भ्रर्थातृ :—

- 1. संक्षिप्त गीर्षक तथा प्रारम्भ:--(क) इन नियमों को भ्राकाणवाणी (श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 इंजीनियरी पद) भर्ती नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा।
 - (ख) ये नियम सरकारी राजपत्न में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना:---ये नियम इस नियमावली से संलग्न श्रनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों की भर्ती पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.---पदों की संख्या इनका वर्गीकरण तथा इससे संबंधित वेतनमान उक्त श्रनुसूची के कालम 2, 3 तथा 4 में दिये श्रनुसार होंगे।
- 4. भर्ती पद्धित, श्रायु सीमा, श्रर्हताएं श्रादि :—पदों की भर्ती पद्धित, श्रायु सीमा श्रर्हताएं तथा इससे संबिधत श्रन्य मामले उक्त श्रनुसूची के कालम 5 में 13 तक में दिये श्रनुसार होंगे।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये श्रादेशों के श्रनुमार श्रनुमूचित जातियों, श्रनुमूचित श्रादिम जातियों तथा श्रन्य विशिष्ट वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अपरी श्रायु सीमा में छूट दी जा सकेगी।

5. जिस पद के लिये इंजीनियरी की डिग्री (या समकक्ष ग्राहैता) न्युनतम ग्राहैता हो, उस पद पर नियुक्त व्यक्ति श्रावश्यकता पड़ने पर किसी भी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी भी पद पर प्रशिक्षण की यदि कोई ग्रवधि हो तो उसके समेत न्यृततम 4 वर्ष के लिये कार्य करने का भागी होगा।

परन्तू एसे व्यक्ति के लिये ---

- (क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष समाप्त होने के बाद पूर्वोक्त अनुसार कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा ;
- (ख) सामान्यतः 45 वर्ष की श्रायु पर पहुंचने के बाद पूर्विन्त भनुसार कार्य करना श्रपेक्षित नहीं होगा।
- 6. श्रनहेंताए (1)(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, श्रथवा
 - (ख) जिसने जीवित पत्नी / पति के होते हुए किसी भ्रन्थ व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो ;

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / होगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर धौर जिससे विवाह किया गया है, उसपर लागू होने वाले व्यक्तिक कानून के ग्रधीन श्रनुजय है तथा ऐसा किये जाने के श्रन्य कारण है, तो वह एसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

- (2) कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो सरकारी कर्मचा{रयों के लिये ग्राहय श्रायु रियायत के श्रन्तर्गत सीधी भर्ती के कोटे में नियुक्त हेतु इंटरव्यू के लिये बुलाया जाता है, श्रौर वह श्रावदन–पन्न देने के बाद इंटरव्यु से पहले या बाद में सेरकारी सेवा से त्याग–पन्न दे देता है तो वह नियुक्ति का पान्न नहीं होगा ।
- 7. श्रपबाद:—इन नियमों की किसी बात का, इस संबंध में जारी किये गये भादेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गी मे मंबंधित व्यक्तियों के लिये अपेक्षित श्रारक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़गा ।
- 8. कुछ मामलों में स्तर की छूट:—आयोग द्वारा किसी भी अनुसूचित जाित या अनुसूचित आदिम जाित से संबंधित उम्मीदवारों की, उनके लिये आरक्षित रिक्तियों की उतनी संख्या तक जितनी की सामान्य स्तर के आधार पर नहीं भरा जा मकता. आरक्षित कोटे में कमी पूरी करने के लिये स्थिल स्तर के द्वारा सिफारिण की जा मकती है चाहे परीक्षा में योग्यता क्रम में उनका रेंक कुछ भी हो वणतें कि वे उम्मीदवार पद पर चयन के लिये उपयुक्त हों।

- 9 रिलीज किये गये आतात कमीगन प्राप्त अधिकारियों के लिये रिक्तियों का श्रारक्षण.— श्रायोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियागिता परीक्षा के माध्यम में भरी जाने वाली स्थायी रिक्तियों की कुछ प्रतिणतता जैमें कि सरकार समय समय पर निर्धारित करे, उन स्नातक इंजीनियरों, जिनको संकटकाल के दौरान श्रस्थायी श्राधार पर सणस्त्र सेना में कमीणन मिला हो, श्रीर बाद में रिलीज कर दिये गये हों, के लिये निम्नलिखित शर्तों पर आरक्षित होंगी :—
 - (1) यदिव सैनिक सेवा में प्रवशन करते तो नियुक्ति के पान्न होते भ्रौर
 - (2) सैनिक मेवा मे रिलीज होने के बाद जिस समय उनकी नियुक्ति के बारे में विचार किया जा रहा हों, उस समय व नियमों के प्रनुसार शारिरिक रूप से स्वस्थ हों। जब तक इस प्रकार के उम्मीदवार नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो तब तक श्वारक्षित स्थायी रिक्तियां ग्रस्थायी ग्राधार पर भरी जायेगी।
- 10 छूट देने का प्रधिकार:---जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना छ।वश्यक या उचित हो वहां वह लिखित कारणों के ग्राधार पर तथा संघलोक सेवा छायोग के परामश से ग्रादेश द्वारा किसी श्रेणीया वर्ग से सर्वधित व्यक्तियों को इन नियमों के किमी उपबंध में छूट दे सकती है।

स्रनुस्ची सूचना और प्रसारण मंत्रालय के श्राकाशवाणी के सहायक केन्द्र इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर के पदों के लिये भर्ती नियम ।

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान	प्रवरण पद या श्रपवरण पद
1	2	3	4	5
1. सहायक केन्द्र इंजीनियर	373	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी1 (राजपत्नित)	400-400-450 600-35-670 द . रो०-35-95 रुपये	-
	निर्जाने वालों के लिये फ्रां तथा फ्रान्य धाईताएं	के लि गाँ क्षिय जाने	भर्ती किये जाने वालों ये निर्धारित श्रायु तथा ह श्रर्हेताएं पदोन्नति से वाले व्यक्तियों के माम् होगी।	र्यदिकोई हो । नरखे
6	7		8	9
30 वर्ष (केन्द्रीय सर– वि कारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकेगी	हसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग इलेक्ट्रकल कम्यूनि इलेक्ट्रोनिक्स की डिग्री या वाय इलक्ट्रोनिक्स के विशेष विषय एम०एस० सी की डिग्री या इस सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले श्रायोग श्रपने विवेक से प्रर्हताश्रों	केशन इंजीनियरिग रलैंस कम्मुनिकेशन या के साथ फिजिक्स में के समकक्ष (श्रन्यथा त में संघलोक सेवा	नही	2 वर्ष

भर्ती पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा या पदोश्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा सथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा यवि विभागीय पदोन्नति भर्ती किये जाने के लिये वे ग्रेड जिनसे पदो— सिमिति विद्यमान है तो न्नित/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना उसका गठन क्या है है।

वि विभागीय पदोन्नति किन परिस्थितियो में समिति विद्यमान है तो भर्ती करने में संघलोक उसका गठन क्या है सेवा श्रायोग से परा— मर्गा किया जाना है।

10

11

12

13

60 प्रतिशत संघ लोक सेवा श्रायोग द्वारा ली पदोन्नति श्रेणी~1 जैसा कि संघ लोक सेवा जाने वाली इंजीनियरी सेवाएं (इलैक्ट्रोनिक्स) श्राकाशवाणी के वे सहायक इंजीनियर जिनकी विभागीय पदोन्नति सीमिति भायोग (परामर्ग से परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। ग्रेड में 3 वर्ष की मेवा हो। श्रूट विनियम 1958 के 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा श्रन्तर्गत श्रपेक्षित है। नोट:~

- (1) यदि सीधी भर्ती द्वारा श्रपेक्षित रिक्तियां नही भरी जातीं, तो शेष रिक्तियां श्रायोग के परामर्श से पाल श्रधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा तीन वर्ष के लिये भरी जा सकती हैं।
- (2) विशेष परिस्थितियों में कुछ पद संघ लोक सेवा श्रायोग के परामर्श से इंजीनियरी सेवाएं (इलेक्ट्रोनिक्स) परीक्षा के माध्यम से भरने की बजाए श्राकस्मिक तदर्भ सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।

1	2	3	4	5
2. महायक इंजीनियर	248	मामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी–2 राजपक्षित ग्रलिकिपकवर्गीय	350-25-500-3 590-द०रो० 30 800-द० रो० 30 830-35-900	_ } _
6	7		8	9
30 वर्ष (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये खूट दी आ सकेगी।	तथैव	भ्रायुः न	नहीं शैक्षिक श्रर्हताएं हां	2 वर्ष
10		11	12	13
30 प्रतिणत पदोन्नति ब्वारा 40 प्रतिण संघ लोक सेवा श्रायोग द्वारा ली जा इंजीनियरी सेवाएं (इलेक्ट्रोनिक्स) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा इसके हो सकने पर संघ लोक सेवा श्रायो माध्यम से चयन द्वारा ।	ने वाली वे सीनियर द परीक्षर ग्रेड में 2 न पर सीनिय कर 5 वर्ष नोट:-पदोर्फ्स फिसी भी पान्न 75 नहीं होनी स्थित में भरी जार्न (1) यदि किस् गई उपयुक्ष कम हो, र	(जीनियरी सहायक जिसकी 2 वर्ष की सेवा हो, इसके न होने गर इंजीनियरी सहायक तथा री सहायक दोनों के ग्रेडों में मिला री की सेवा हो। ति किये गये व्यक्तियों की संख्य प्रवसर पर पदोन्नति के लिये प्रतिशत उम्मीदवारों से अधिव । चाहिये तथा इस प्रकार की सेव पदोन्नति के लिये पाई नि संख्या पदोन्नति के कोटे से नो शेष रिक्तियां प्राप्ति के कोटे से नो शेष रिक्तियां प्राप्ति के कोटे से के स्थान पर सीधी भर्ती के नोड़ी, जाएंगी।	ा ा वे क ते त	जैसा कि संघ लोक सेवा ति श्रायोग (परामर्शे से छूट) विनियम, 1958 के श्रन्तर्गत घपेक्षित हैं।

[संख्या 20/2/67—ची (डी)—भाग 3] श्रार०के० गुप्त, ग्रवर सचिव।